डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No. HQ/PIO/RTI/212/12 **Dt: 05.11.2012**

Sh. Ajeet Singh
S/o- Sh. Devi Prasad Kushwa
Vill & Post: Sitmara, **Pargana**: Deerapur
Janpad: Ramabai Nagar
House No. 10/2, Juhi Safed Colony
Kanpur- 208014 (Uttar Pradesh)

Sub: Information under RTI Act- 2005
Ref: Your application dt: 01.10.2012 received on 08.10.2012

उपरोक्त विषय में सम्बंधित विभाग द्वारा प्राप्त टिपण्णी निम्नलिखित है :-

1- डी0एफ0सी0सी0आई0एल परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में अभिनिर्णय दिनांक 08.02.2010 के 20ए के अनुसार गाटा सं0 236 में 0.2520हे0 एं0 20ई में 0.2520हे0 रकबा गजट में प्रकाशित किया था परन्तु संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार प्रार्थी का कुल 0.2460हे0 ही इस परियोजना से अधिग्रहीत किया जा रहा हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी इतने ही क्षेत्रफल का अभिनिर्णय किया गया है। अतः गाटा सं0 236 का कुल 0.2460हे0 रकबा प्रभावित हो रहा हैं और उतने ही रकबे का भुगतान किया जायेगा। चूँकि गाटा सं0 236 के प्रार्थी ने अभी तक कोई भी प्रपत्र जमा नही किये है जिसके कारण प्रतिकर की राशि बनाना सम्भव नही हैं। प्रार्थी के द्वारा प्रपत्र जमा होने के उपरान्त शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायेगा।

2- मद् 1 के अनुसार।

3- तहसील डेरापुर के सभी किसानों को जारी प्रकाशन 20ई को अधिग्रहीत क्षेत्रफल पर मुआवजा दिया जाये , मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई पारित आदेश इस कार्यालय की जानकारी में नही हैं।

4- तहसील डेरापुर के अर्न्तगत इस परियोजना द्वारा कई कास्तकार है जिनका 20ई में एंव संयुक्त सर्वेक्षण के रकबे में भिन्नता हैं। जिसको इस कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस के कार्य काल में उपलब्ध अभिलेखों में आकर प्रार्थी द्वारा देखा जा सकता हैं। तहसील डेरापुर के सभी किसानों को जारी प्रकाशन 20ई को अधिग्रहीत क्षेत्रफल पर मुआवजा दिया जाये ऐसा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई पारित आदेश इस कार्यालय की जानकारी में नही हैं।

5- मद् 1 के अनुसार।

6- आपको अवगत कराना हे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय से दिये गये आदेश केवल गाटा सं0 912क के लिए दिये गये हैं । अतः प्रार्थीगणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी अभिनिर्णयत क्षेत्रफल के अनुसार ही प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

7- आपको पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है, कि खाता सं0 176, गाटा सं0 236 प्रपत्र जमा न होने के कारण इस गाटे का भुगतान करना सम्भव नही हैं। खतौनी में रेल मंत्रालय भारत सरकार के नाम अमलदरामद करना एक परियोजना की प्रकिया हैं, जिसके तहत् कुल 0.2460हे0 + 0.1650हे0 = 0.4110हे0 रकबे से प्रार्थीगणो की नाम पृथक करके रेल मंत्रालय विभाग भारत सरकार का नाम रकबा अंकित किया गया हैं।

8- मद् 4 के अनुसार।

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to: **CPM/Tundla**

DESPATCH